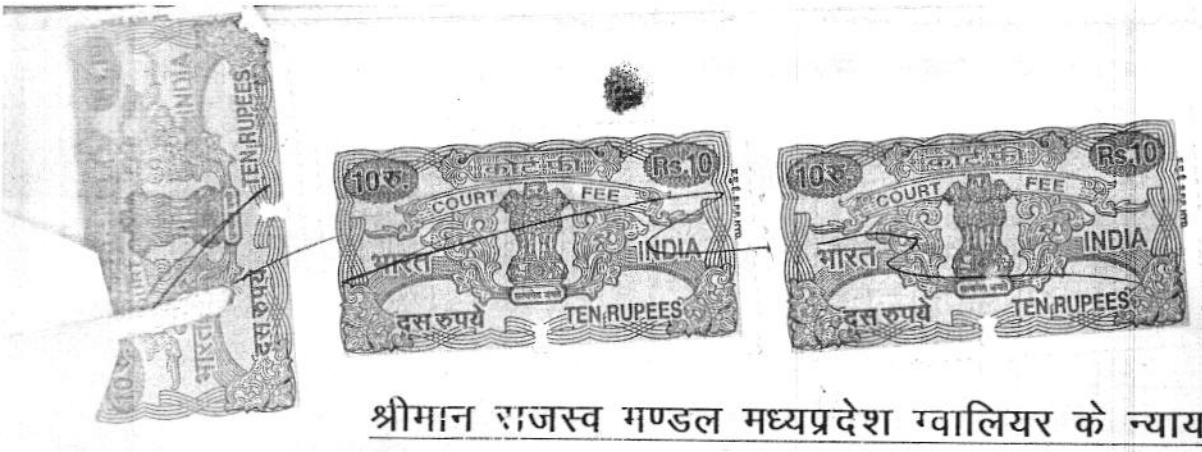

श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के न्यायालय में।

R-1349-PBR/17

1— योगेंन्द्र बहादुरसिंह पिता नरेन्द्रबहादुरसिंह
2— शैलेन्द्र बहादुरसिंह पिता सुशीलबहादुरसिंह
निवासी :— 107, पिपल्याराव इंदौर । — — प्रार्थीगण

विरूद्ध

गुरूदीपसिंह पिता गुरूचरणसिंह
निवासी— 1095, अमितेष नगर इंदौर — — प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 ।

श्रीमान् तहसीलदार मल्हारगंज तहसील इंदौर के प्रकरण क्रमांक 01/अ—70/14—15 में दिनांक 06/04/2017 में पारित प्रोसिडिंग आदेश से असंतुष्ट होकर प्रार्थीगण यह पुनरीक्षण निम्नलिखित कारणों से प्रस्तुत करता है :—

प्रकरण के तथ्य :—

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम छोटा बांगड़दा तहसील व जिला इंदौर स्थित भूमि के संबंध में प्रतिप्रार्थी के द्वारा उनके स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 111/1/3 ढ रकबा 0.105 हे. भूमि पर प्रार्थीगण का आधिपत्य अवैधानिक होना बताकर धारा 250 म.प्र.भू—राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण की प्रचलनशीलता व प्रकरण में प्रस्तुत वास्तविक तथ्यों के संबंध में प्रार्थीगण के द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सहपठित धारा 32 व 43 म.प्र.भू—राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। जिसका उत्तर प्रतिप्रार्थी अभिभाषक के द्वारा दिया गया। प्रकरण में उक्त आवेदन पत्र का निराकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक था, किंतु श्रीमान् अपर तहसीलदार के द्वारा प्रकरण में उभयपक्षों के तर्क श्रवण करने के उपरांत उक्त आवेदन पत्र का निराकरण साक्ष्य के उपरांत करने बाबद आदेश दिया गया। प्रकरण में उभयपक्षों की साक्ष्य के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को दिनांक 06/04/2017 को पारित अवैधानिक आदेश के द्वारा निरस्त किया गया। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 20/04/2017 को प्राप्त हुई। दिनांक 06/04/2017 को पारित इसी आदेश से असंतुष्ट होकर प्रार्थीगण के द्वारा सदर निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है :—

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1349/पीबीआर/17 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02.04.2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक की ओर से श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। दिनांक 25.09.2018 से भू-राजस्व संहिता संशोधन 2018 प्रभावशील हो जाने से अब तहसील न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पुनरीक्षण का निराकरण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर कलेक्टर द्वारा किया जाना है। अतः संहिता की संशोधित धारा 50 सहपठित धारा 54(a) के तहत यह प्रकरण निराकरण हेतु कलेक्टर, इंदौर को अंतरित किया जाता है। उभय पक्षदिनांक 30.05.2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों। उभय पक्ष सूचित हो। **अध्यक्ष**	